न्यायालय– अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 220 / 2001

शिव शंकर राय वगै0.....–वादीगण।

बनाम

बैजनाथ राय वगै0––––––––प्रतिवादीगण।

आदेश

09.01.2023 उभय पक्षों की हाजिरी है। वादी अंकित कुमार राय के तरफ से विद्वान अधिवक्ता सैयदुल आजम का अधिकार पत्र दाखिल किया गया। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 28.11.2022 जो कि आवेदन दिनांक–25.02.2022 को पूरक आवेदन के आलोक में दिया गया है तथा उक्त आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दफा 151 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। उक्त दोनों आवेदनों के आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी सं0 1 शिव शंकर राय की मृत्यु दिनाक– 05.05. 2021 को हो चुकी है तथा वादी सं0 3 चन्द्रमा राय की मृत्यु दिनांक– 12.11.2020 को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त दोनों मृत वादी का नाम इस वाद से कलमजद करते हुये उनके वारीसानों का नाम उनके जगह पर प्रतिस्थापित किया जाये। आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र एवं एक अन्य आवेदन अन्तर्गत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। वादी द्वारा एक अन्य आवेदन दिनांक– 28.11.2022 में मृत वादियों की लड़कियों का नाम छुट गया था, उसे भी आवेदन दिनांक– 25.02.2022 के आवेदन का पूरक आवेदन समझा जाये और प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक– 25.02.2022 को स्वीकृत किया जाये।

प्रतिवादीगण के तरफ से दिनांक– 21.09.2022 को दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन काफी विलम्बत से दाखिल किया गया है तथा वादी द्वारा जान बूझकर मुकदमा को निस्तारण में विलम्ब करने हेतु दिया गया है तथा वादी द्वारा आवेदन असलियत को

लगातार
09.01.2023

छिपाकर दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि वादी द्वारा लड़कियों का नाम छिपाया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी थन है कि वादी सं0 3 चन्द्रमा राय की मृत्यु वर्ष 2020 में तथा वादी सं0 1 शिव शंकर राय की मृत्यु वर्ष 2021 में हुई है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी सं0 1 शिव शंकर राय तथा वादी सं0 3 चन्द्रमा राय की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु वादी द्वारा उक्त आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया है। इसके तथ्यों के समर्थन में वादी द्वारा शपथ पत्र. एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया है। वादीगण के उततराधिकारियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में आवेदन मो0 पांच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की अदायगी करें तथा कार्यालय खर्चे की अदायगी के पश्चात आवेदन के आलोक में मृत वादियों का नाम इस वाद से कलमजद करते हुये उनके वारीसानों का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करे।

दिनांक– 14.02.2023 वास्ते सुनवाई।

(लेखापित)

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव, बक्सर।